कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र।

(खनिज अनुभाग)

संख्याः–1762/खनिज/ई–निविदा/2025–26 दिनांक 17/12/2025

ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–सोनभद्र में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्वस्थानें चट्टान किस्म गिट्टी/पत्थर (डोलो स्टोन) के निजी भूमि के एक रिक्त खनन क्षेत्र को उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–23(2)(घ) में दिये गये निर्देशानुसार 10 वर्ष की अवधि के लिये ई–निविदा के माध्यम से खनन परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित करते हुए दिनांकः 29/12/2025 समय 10:00 Am बजे से दिनांकः 04/01/2026 समय 5:00 P.M. बजे तक ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरणः–

क्र0 सं0	भूस्वामी/भूस्वामियो का नाम	तहसील/ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	उपखनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित उपखनिज की मात्रा प्रथम वर्ष हेतु (घन मी0 में)	नियमावली 2021 के अनुसूची 1 के अनुसार उपलब्ध उपखनिजों में से सर्वाधिक रायल्टी दर (रु0 प्रति घन मीटर)	प्रथम वर्ष में आंकलित मात्रा की कुल रायल्टी (रूपयों में)	अर्नेस्ट मनी (कॉलम 09 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	श्री आनन्द कुमार शुक्ला पुत्र श्री भानु प्रकाश शुक्ला निवासी ग्राम–मीतापुर, परगना अगोरी, तहसील ओबरा, जनपद–सोनभद्र।	ओबरा/मीतापुर	410क	1.453	गिट्टी/पत्थर (डोलो स्टोन)	73,000	160	1,16,80,000.00	29,20,000.00

उपरोक्त क्षेत्र की सीमांए एवं जियो कार्डिनेट्स

क्र0 सं0	चौहद्दी	क्षेत्र का जियो–कार्डिनेट्स (अक्षांश–देशान्तर)	
1	2	3	
1.	उत्तर– स्वीकृत क्षेत्र की सीमा बाद आ0सं0–410 का शेषभाग व 381, 382, 396 व 397 इत्यादि। **दक्षिण–** स्वीकृत क्षेत्र की सीमा बाद आ0सं0–408, 409, 419 इत्यादि। **पूरब–** स्वीकृत क्षेत्र की सीमा बाद आ0सं0–398, 394, 395 इत्यादि। **पश्चिम–** स्वीकृत क्षेत्र की सीमा बाद आ0सं0–411, 412, 418 इत्यादि।	A	24°33'20.30"N, 82°58'43.97"E
		B	24°33'20.89"N, 82°58'44.49"E
		C	24°33'20.58"N, 82°58'44.95"E
		D	24°33'19.93"N, 82°58'44.96"E
		E	24°33'19.46"N, 82°58'45.51"E
		F	24°33'18.30"N, 82°58'45.44"E
		G	24°33'17.92"N, 82°58'44.75"E
		H	24°33'18.49"N, 82°58'44.01"E

2. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय नागरिक हो, जिलाधिकारी, सोनभद्र को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न **प्रारूप–2** पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बातें होंगीः–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांकः जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाइल नं० (पता के प्रमाण स्वरूप व्यक्ति के लिये आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र तथा फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)

घ. क्या आवेदक भूस्वामी है। (हॉ/नहीं)

ड. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है, जिसमें निम्न हो:–

भूस्वामी का नाम :–
उपखनिज का नाम :–
तहसील का नाम :–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम :–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या :–
क्षेत्रफल (हेक्टयर में)
विज्ञप्ति में दी गयी खनन योग्य अनुमानित खनिज की मात्रा :–

च. ई–निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदक को रू0 15,000 का आवेदन शुल्क जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय (Non refundable) होगा।

छ. प्री बिड अर्नेस्ट मनी का ड्राफ्ट (जिसकी गणना क्षेत्र में आंकलित खनन योग्य मात्रा एवं उप खनिज की रायल्टी दर से गुणा कर प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत होगा)

ज. खनिज के लिये प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली ई–निविदा की दर :–
(ई–निविदा की दर उस खनिज के लिये नियमावली, 2021 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नहीं होगी।)

झ. प्रदेश में इमारती पत्थर सैण्ड स्टोन, जिसमें पटिया/गिट्टी/बोल्डर आदि मिश्रित रूप में पाये जाते है, के लिए बोल्डर एवं गिट्टी में से अधिक रायल्टी दर वाले उपखनिज गिट्टी की रायल्टी की दर को आधार मूल्य मानकर ई निविदा की कार्यवाही की जायेगी तथा सैण्ड स्टोन डायमेंशनल (पटिया, चौका, ब्लॉक आदि) की ई–निविदा में स्वीकृत अधिकतम रायल्टी दर कम होने की स्थिति में नियमावली, 2021 की अनुसूची–1 में निर्धारित रायल्टी दर देयता हेतु प्रभावी होगा।

ट. जिलाधिकारी, या ऐसे अधिकारी द्वारा जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र ।

ठ. भू–स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को उस जिले के जिलाधिकारी जहाँ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

ड. भू–स्वामी को छोड़कर अन्य व्यक्ति/फर्म को ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र या ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र के साथ बैक प्रत्याभूति, जो ई–निविदा की धनराशि के 25 प्रतिशत से कम न हो।

3. बिन्दु संख्या–2 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा।

.....3...

4. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना अनिवार्य होगा।

5. ई–निविदा आमंत्रण की अवधि के अन्दर ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

6. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि० से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

7. निविदाकार द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगीः–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिन आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Passward) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paricipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा सम्बन्धित सभी जानकारी सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर–2 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी०डी०एफ० फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई–टेण्डर डाकूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेज की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा "पे ऑफ लाईन" (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्कीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (IAgree submit) पर क्लिक करना होगा।

.....4...

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा प्री बिड अर्नेस्ट मनी से सम्बन्धित कालम में जमा धनराशि के बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि प्री बिड अर्नेस्ट मनी को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से सम्बन्धित कार्य पूर्ण माने जायेगें।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई तकनीकी एवं वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिडस में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए ई–निविदा रि–बिड सबमिशन (Rebid submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते है। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल पर अनुमन्य होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

8. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉडबैण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। कम्प्यूटर लाइनेक्स, विण्डोज एक्सपी सर्विस पैक–3 या उच्च आपरेटिंग सिस्टम एण्टीवायरस तथा इण्टरनेट एक्सप्लोरर वर्जन 7.0 या अधिक, के साथ होना चाहिए। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

9. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यो हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

10. भूस्वामी/भूस्वामियों द्वारा क्षेत्र की ई–निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर उच्चतम बोली को संज्ञान में लेकर 07 (सात) कार्यदिवस के भीतर सम्बन्धित खनन क्षेत्र पर प्रादेशिक, अधिकारिता रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो प्रस्तुत करने का उसे/उन्हें एक अवसर प्राप्त होगा। ई–निविदा प्रक्रिया में भूस्वामी को भाग लेना आवश्यक नहीं है, परन्तु भूस्वामी/भूस्वामियों के पक्ष में खनन परिहार स्वीकृत होने की दशा में ई–निविदा के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या 02. में दी गयी समस्त शर्तो को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

11. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओ को दिनांक 05/01/2026 को 11:30 A.M बजे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

12. भू–स्वामी द्वारा प्रथम इनकार के अधिकार का उपयोग नहीं करने पर उच्चतम बिडकर्ता के पक्ष में परिहार स्वीकृत किया जायेगा। उच्चतम बिड की धनराशि का 20 प्रतिशत (प्रत्येक घनमीटर हेतु) चयनित आवेदक द्वारा भू–स्वामी/स्वामियों को प्रतिकार के रूप में दिया जायेगा जो राज्य सरकार को संदेय धनराशि के अतिरिक्त होगी। भू–स्वामी/स्वामियों को देय ऐसी धनराशि प्रत्येक समय राज्य सरकार के भुगतान के साथ भूस्वामी के बचत खाता जो कि अनुसूचित बैंक में हो, में

.....5...

किया जाना अनिवार्य होगा।

13. सफल निविदाकर्ता/भूस्वामी का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन परिहार हेतु सहमति पत्र (Letter of Intent) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

14. लेटर आफ इन्टेंट निर्गत होने के 03 कार्यदिवस में ई–निविदा की सकल धनराशि का 25 प्रतिशत प्रतिभूति तथा 25 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में जिसमें अर्नेस्टमनी की धनराशि समायोजित की जायेगी। सफल निविदाकार अथवा भूस्वामी द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं करने पर जमा अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन पर विचार योग्य नहीं होगा। खनन पट्टे पर प्रथम 10 वर्षो के लिए संदेय धनराशि वाली दर अथवा समय–समय पर नियमावली में विनिर्दिष्ट रायल्टी दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर होगी। यदि किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक न हो तो ऐसी प्रतिभूति धनराशि परिहार अवधि की समाप्ति उपरान्त एक माह के अन्दर परिहारधारक को वापस कर दी जायेगी।

15. जिलाधिकारी को कोई कारण बताए बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

16. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय, के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

17. सफल निविदाकार/ भूस्वामी परिहार हेतु इस आशय पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांकः 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुए आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

18. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से भिन्न होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित मात्रा ही परिहार अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु अधिकतम मात्रा होगी तथा उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि की गणना की जायेगी।

19. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात् ही खनन कार्य प्रारम्भ होगा।

20. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली–2021 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

21. परिहारधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।

.....6...

22. खनन पट्टा क्षेत्र हेतु *Air (Prevention and Control of Pollution) 1974 and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981* में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से CTE/CTO प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके पश्चात् ही खनन/परिवहन संक्रियायें प्रारम्भ की जायेगी।

23. खनन पट्टा क्षेत्र के आस–पास अवैध खनन होने पर खनन पट्टाधारक को तत्काल कार्यालय में उसकी सूचना दिया जाना होगा, ऐसा न करने पर उक्त अवैध खनन, पट्टाधारक द्वारा किया गया माना जायेगा।

24. परिहारधारक द्वारा मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश तथा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 2021 तथा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

25. स्थानीय स्थिति तथा परिवेश को ध्यान में रखते हुये अन्य शर्ते जो जिलाधिकारी द्वारा उचित समझी जाये, खनन पट्टा विलेख में सम्मिलित की जा सकेगी।

(बद्री नाथ सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद दिनांकः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित ।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. ई–निविदा संचालन करने वाली समिति ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, राबर्ट्सगंज, दुद्धी, ओबरा, घोरावल को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. जिला सूचना अधिकारी, सोनभद्र को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सोनभद्र को जनपद सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. नजारत, कलेक्ट्रेट, सोनभद्र को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
10. खनिज कार्यालय, सोनभद्र में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

Signature Not Verified
Digitally signed by KAMAL KASHYAP
Date: 2025.12.30 10:39:28 IST
Location: Uttar Pradesh-UP